फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/22	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट्स उपस्थित। वकील अपीलांट्स ने मजीज बहस करनी चाही। अनुमति दी गई। बहस सुनी जाकर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट्स द्वारा एक अपील विरूद्ध इन्तकाल आदेश दिनांक 05.10.2015 जिसकी रूह से रेस्पोडेन्ट द्वारा विरासतन इन्तकाल संख्या 171 खारिज किया गया, प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट्स के दादा/ससुर कृपाल सिंह के नाम से तहसील घड़साना के चक 9 जीडी–ए के प.नं. 4/52 मु.नं. 05 के किला नं. 3 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 की कुल 4.479 हैक्टेयर कमांड /अनकमांड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कृपाल सिंह द्वारा अपीलांट्स के पिता/पति देवीलाल को गोद लिया हुआ था। अपीलांट्स के दादा/ससुर कृपाल सिंह का दिनांक 22.10.1998 को देहान्त हो गया। स्व. कृपाल सिंह के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत 17 एमडी–ए द्वारा जायज वारिसान रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 को जारी की गई जिसमें अपीलांट्स के दादा/ससुर कृपाल सिंह द्वारा देवीलाल को गोद लेना दर्शाकर एवं वारिसान रिपोर्ट जारी करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं अखबार में साया करवाकर वारिसान रिपोर्ट जारी की गई जिसमें अपीलांट्स के पिता/पति देवीलाल को स्व. कृपाल सिंह का एकमात्र वारिस होने की रिपोर्ट जारी की गई। अपीलांट्स के पिता/पति देवीलाल का देहान्त दिनांक 25.01.2021 को हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त वारिसान रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विरासतन इन्तकाल संख्या 171 आदेश दिनांक 05.10.2015 को इस अंकन के साथ कि गोदनामा संलग्न नहीं है नामान्तरण खारिज किया जाता है, खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट का आलौच्य इन्तकाल आदेश दिनांक 05.10.2015 बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये व प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल खारिज करते समय अपीलांट्स या अपीलांट्स के पिता/	

पति को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य व बिना वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन किये उक्त विरासतन इन्तकाल खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वारिसान रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। उक्त वारिसान रिपोर्ट समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं अखबार में साया करवाकर एवं गोदनामा का अवलोकन करने के पश्चात् ही जारी की गई थी। उक्त वारिसान रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि आवेदक देवीलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी, मृतक श्री कृपालराम उर्फ कृपाल सिंह का दत्तक पुत्र है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना कोई जांच किये उक्त इन्तकाल खारिज किया गया है जो अपास्त करने योग्य है। अपीलांट्स के पिता/पति स्व. देवीलाल का दिनांक 25.01.2021 को देहान्त हो चुका है जिनके देहान्त के बाद अपीलांट्स ही स्व. देवीलाल के जायज वारिसान है। आज से करीबन 10 रोज पूर्व अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि का स्व. देवीलाल के बतौर वारिसान विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु जब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेनी चाही तब पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन भूमि स्व. देवीलाल के नाम से दर्ज न होकर स्व. कृपाल सिंह के नाम से ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तब अपीलांट्स द्वारा तुरन्त इन्तकाल की नकल प्राप्त की गई तो अपीलांट्स को उक्त इन्तकाल खारिज होने का पता चला इसलिये अपीलांट्स द्वारा आलौच्य इन्तकाल संख्या 171 दिनांक 05.10.2015 के विरूद्ध बिना देरी किये यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट्स सदभाविक है, अपीलांट्स ने जान बूझकर कोई देरी नहीं की है बल्कि आलौच्य आदेश का ईल्म अपीलांट्स को सर्वप्रथम 10 रोज पूर्व पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर हुआ। आलौच्य इन्तकाल की जानकारी होने पर तुरन्त यह

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील पेश की जा रही है। इसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 17 एमडी–ए का आलौच्य आदेश दिनांक 05.10.2015 जिसकी रूह से विरासतन इन्तकाल संख्या 171 खारिज किया गया, को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि तहसील घड़साना के चक 9 जीडी–ए के प.नं. 4/52 मु.नं. 05 के किला नं. 3 ता 5, 7 ता 14, 17 ता 23 की कुल 4.479 हैक्टेयर कमांड/ अनकमांड कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल स्व. कृपाल सिंह के बतौर वारिस स्व. देवीलाल के नाम से या स्व. देवीलाल के बतौर वारिसान अपीलांट्स के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील को अन्दर मियाद मानते हुए दर्ज करने का निवेदन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन करने के पश्चात् एवं इसके संबंध में वकील अपीलांट्स की बहस सुनने के पश्चात् अपीलांट्स द्वारा पेश की गई अपील को अन्दर मियाद मानते हुए एवं इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को सम्मन तलब होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 08.03.2022 को रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलांट्स की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स के दादा/ससुर कृपाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।	

देवीलाल कृपाल सिंह का दत्तक पुत्र है एवं एकमात्र वारिस है। देवीलाल के जायज वारिसान अपीलांट्स है। जब अपीलांट्स के पिता/पति देवीलाल, कृपाल सिंह के नाम दर्ज भूमि का विरासतन इन्तकाल करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट के पास गए तो रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त विरासतन इन्तकाल संख्या 171 को इस अंकन के साथ खारिज किया गया है कि गोदनामा संलग्न नहीं है जबकि गोदनामा प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट्स को अथवा अपीलांट्स के पिता/पति देवीलाल को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि समुचित अवसर प्रदान किया गया होता तो गोदनामा तथा अन्य कोई दस्तावेज जो भी रेस्पोडेन्ट द्वारा वांछित होता, उपलब्ध करवा दिया जाता। इन्तकाल के साथ संलग्न वारिसान रिपोर्ट भी रेस्पोडेन्ट द्वारा ही तस्दीक की गई है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल खारिज करते समय इस रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया गया अन्यथा स्थिति स्पष्ट हो जाती। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल संख्या 171 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 05.10.15 को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को देवीलाल के जायज वारिसान अर्थात् अपीलांट्स के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि देवीलाल को कृपाल सिंह का दत्तक पुत्र मानते हुए वारिसान तस्दीक भी रेस्पोडेन्ट द्वारा ही जारी की गई है एवं दत्तक पुत्र होने के साक्ष्य के संबंध में गोदनामा संलग्न नहीं होने के कारण ही रेस्पोडेन्ट द्वारा इन्तकाल खारिज किया गया है। उक्त दोनों तथ्यों में विरोधाभास प्रकट होता है जिससे अपीलांट्स द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों एवं बहस में किए गए कथनों को बल मिलता है। यह भी प्रतीत होता है कि दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान न करते हुए तत्काल निर्णय लिया गया है। उपरोक्तानुसार विवेचना करने के पश्चात् अपीलांट्स की अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट सरपंच, ग्राम पंचायत 17 एमडी–ए द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 171 दिनांक 05.10.15 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार घड़साना को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखित दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (अभिलाष) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	